डॉ अनुपम शाही
एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान विभाग)
हरिश्चंद्र पी जी कालेज, वाराणसी ।

एम ए प्रथम सेमेस्टर
(प्रश्न पत्र प्रथम)
'प्राचीन एवं मध्यकालीन राजनीतिक चिंतक'

प्लेटो का न्याय सिद्धांत

प्लेटो ने अपने सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक 'रिपब्लिक' में अपने न्याय संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया है । लेकिन प्लेटो के न्याय की अवधारणा और आधुनिक न्याय की अवधारणा में मूलभूत अंतर है प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया है अर्थात प्लेटो का यह मानना था कि मनुष्य उन सभी कर्तव्यों का पालन करें जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। हालांकि प्लेटो से पूर्व के वविचारकों द्वारा भी न्याय की अवधारणाएं प्रचलित थी जिसमें प्रमुख रुप से न्याय की परंपरावादी उग्रवादी और व्यवहारवादी अवधारणाएं प्रमुख थी।

न्याय की परंपरावादी सिद्धांत का प्रतिपादक सिफेलस और पोली मार्कस थे उनके अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है और न्याय कला है जो मित्रों को हित और शत्रुओं को प्रदान करती है लेकिन प्लेटो इस अवधारणा का खंडन करता है और यह प्रतिपादित करता है कि यदि न्याय को कला मान लिया जाएगा तो अन्य कलाओं की तरह इसका प्रयोग विरोधी दिशाओं में भी किया जा सकता है और यदि ऐसा होता है तो न्याय का रूप विकृत हो जाएगा और वह न्याय न रहकर स्वेच्छाचार में परिवर्तित हो जाएगा और इसी के साथ साथ प्लेटो ने यह भी बताया शत्रुओं को अहित और मित्रों को हित प्रदान करने का जहां तक प्रश्न है तो यह भी बुनियादी रूप से गलत है क्योंकि न्याय का उद्देश्य सदैव कल्याणकारी होता है और इस तरह से तमाम दोष बताते हुए उसने न्याय की परंपरा वादी अवधारणा को अमान्य साबित कर दिया।

इसी प्रकार उग्रवादी सिद्धांत जिसका प्रतिपादक थ्रेसीमेकस था जो एक सोफिस्ट विचारक था और उसका मानना था कि न्याय शक्तिशाली का हित है और इसीलिए उसने बताया कि विभिन्न प्रकार की सरकार है चाहे वह जनतांत्रिक को हो या राजतंत्र या निरंकुश तंत्र जो भी कानून बनाती हैं उनका एकमात्र उद्देश्य अपनी स्वार्थ सिद्धि होता है और उन्हीं कानूनों का पालन वह जनता से कराती है और उसे ही विन्यास वे न्याय कहते हैं और जो व्यक्ति इन कानूनों का पालन नहीं करता उसे अन्याय अन्याय कहकर दंड भी दिया जाता है आगे थ्रेसीमेकस कहता है कि सरकार के हाथ में शक्ति होती है और इसीलिए न्याय शक्तिशाली का हित है और इसीलिए अन्याय न्याय से बेहतर है क्योंकि स्व हित करना अन्याय है लेकिन प्राकृतिक नियम के अनुसार व्यक्ति अपना हित चाहता है इसलिए सभी बुद्धिमान लोगों के जीवन का सिद्धांत अन्याय है न्याय नहीं। प्लेटो ने थ्रेसीमेकस की इस उग्रवादी मान्यता को अस्वीकार किया और बताया कि शासन एक कला है और सभी कलाओं का उद्देश्य वस्तुओं को पूर्णता प्रदान करना होता है ना कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना और उसी प्रकार शासन कभी भी शासक के स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बल्कि जन कल्याण का साधन है इसलिए सच्चा शासक अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बजाय जन कल्याणकारी कार्य करेगा और इसी तरह वाह प्रति मेकस की दूसरी धारणा का भी खंडन करता है और बताता है कि प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित गुण होता है जिसे छोड़कर वह सुखी नहीं हो सकता इसलिए अन्याय व्यक्ति न्याय वक्त से सुखी है यह कहना गलत है।

जहां तक व्यवहार वादी सिद्धांत की बात है तो इसका प्रतिपादक ग्लाकन था और वह मानता था कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और परंपरा की उपज है इसलिए न्याय शक्तिशाली का हित नहीं बल्कि दुर्बल मनुष्यों का हित है और इसको बताते हुए गुलाब कौन कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अन्याय करते थे और अन्याय चाहते थे और यह व्यवस्था अशक्त व्यक्तियों पर बहुत भारी पड़ती गई और जब यह स्थिति असह्य हो गई और समाज में उन्हीं का बहुमत था तो इस अन्याय पूर्ण अवस्था से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपस में मिलकर उन्होंने एक समझौता किया कि ना तो वह स्वयं अन्याय करेंगे और ना अन्याय करने देंगे तो इस प्रकार अन्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का अंत हुआ इसीलिए न्याय भाई की संतान है और दूर बलों की आवश्यकता है लेकिन प्लेटो ग्लाकन के इस सिद्धांत को भी स्वीकार करते हुए कहता है कि कानून और न्याय वाह्य समझौते पर आधारित वस्तुएं नहीं है वह भय की संतान नहीं बल्कि आत्मा की आवाज है और उसका पालन व्यक्ति भय से नहीं शक्ति से नहीं बल्कि स्वभाव से करता है और इस तरह प्लेटो न्याय को आत्मा का आंतरिक गुण बताता है।

प्लेटो के न्याय संबंधी धारणा क्या थी

न्याय संबंधी सभी अवधारणाओं का खंडन करके प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में यह प्रश्न उठाता है कि न्याय की प्रकृति क्या है ? और राज्य में इसका निवास कहां है? इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए वह रिपब्लिक में लिखता है कि मानव आत्मा के 3 प्रधान गुण होते हैं विवेक साहस और क्षुधा या वासना और प्लेटो मानव आत्मा के इन्हीं तीन गुणों के आधार पर समाज को भी तीन वर्गों में विभाजित करता है-

1- शासक वर्ग (जिसमें विवेक की प्रधानता होती है)

2- सैनिक वर्ग (जिसमें शौर्य की प्रधानता होती है)

3 -उत्पादक वर्ग (जिसमें क्षुधा की प्रधानता हो)

और इस आधार पर प्लेटो न्याय का अपना सिद्धांत देते हुए कहता है कि-"अपने निश्चित स्थान पर अपने निश्चित कर्तव्यों की पूर्ति करना और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है"।

इस प्रकार प्लेटो के अनुसार न्याय की प्राप्ति तभी हो सकती है जब समाज का प्रत्येक घटक अपने प्रकृतिस्थ गुणों के अनुसार आचरण करें अर्थात सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तभी न्याय संभव है। इस प्रकार न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान होता है। प्लेटो के अनुसार न्याय के सिद्धांत की मांग है कि राजा विवेकशील हो सैनिक साहसी हों और उत्पादक वर्ग आत्म संयम युक्त हो, यदि ऐसा है तो उस राज्य में न्याय का निवास है और इस प्रकार राज्य और व्यक्ति दोनों के संदर्भ में न्याय की एक ही अवधारणा को प्लेटो स्वीकार करता है क्योंकि उसके अनुसार राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप होता है।

आलोचना

प्लेटो के न्याय सिद्धांत की बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं आलोचक ये कहते हैं कि हो सकता है कि तत्कालीन यूनान की परिस्थितियों में प्लेटो की न्याय की अवधारणा उपयोगी रही हो लेकिन आज के युग में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और उसके कई कारण हो सकते हैं जैसे आलोचक यह मानते हैं कि प्लेटो का न्याय एक कानूनी धारणा नहीं बल्कि नैतिक धारणा है और इसी के साथ प्लेटो द्वारा अपनी शासन संबंधित सिद्धांत में शासन की समस्त शक्ति एक वर्ग शासक वर्ग को दे देना यह पूर्णतया अनुचित है क्योंकि असीमित शक्ति किसी भी व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देती है। आलोचकों का यह भी मानना है की प्लेटों में जिस न्याय सिद्धांत की बात की उसमें मनुष्य और समाज किसी का भी सर्वांगीण विकास संभव नहीं है क्योंकि प्लेटो की न्याय की व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही कार्य तक सीमित कर दिया जाता है और इसका लक्ष्य व्यक्ति की एक ही प्रवृत्ति का विकास है और इस तरह व्यक्ति की अन्य योग्यताओं का विकास संभव नहीं हो पाएगा और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के अभाव में समाज भी सर्वांगीण विकसित नहीं हो सकता और इसके साथ ही यह भी आलोचना है प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तियों पर अत्यधिक अनुशासन लात देता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को दबा दिया जाता है जो उचित नहीं है और प्लेटो के न्याय सिद्धांत को आलोचक और लोकतांत्रिक भी बताते हैं क्योंकि उत्पादक वर्ग जो किसी भी राज्य की जनसंख्या का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसे प्लेटो सभी राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर देता है तो उसका यह सिद्धांत तो आधुनिक युग में बहुत ही अलोकतांत्रिक है और ऐसे तो जो शासक हैं वह उम्र भर शासक और जो श्रमिक हैं वह आजीवन श्रमिक ही बने रहेंगे उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन संभव नहीं हो सकता।

इस प्रकार अंत में यह कहा जा सकता है कि वास्तव में प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि एक नैतिक सिद्धांत के रूप में ही किया है।